अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कुसमी

प्रकरण क्रमांक: 202504270300020/अ-62 (वृक्ष कटाई हेतु अनुमति)

आवेदक: ओमप्रकाश पिता/पति/विभाग-स्व ० जगदीश पता-नीलकंठपुर   विरुद्ध अनावेदक : छ० ग० शासन पिता/पति/विभाग- - पता--

अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कुसमी
प्रकरण क्रमांक :202504270300020

आदेश अथवा कार्यवाही की तारीख	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश अथवा कार्यवाही	जहां आवश्यक हो पक्षो/वकीलो / प्रस्तुतकार लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर
28/04/2025	प्रकरण पेश.आवेदक स्वतः उपस्थित.प्रकरण अंतिम आदेश हेतु .- अंतिम आदेश हेतु सुनवाई दिनांक: 28/04/2025 (Karun Kumar Dahariya) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग- कुसमी	

28/04/25 – प्रकरण पेश।

– प्रकरण में अनुमति आदेश पारित। पृथक से संलग्न किया जाकर दर्ज हो, प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कुसमी
जिला-बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कुसमी जिला– बलरामपुर–रा.गंज (छ.ग.)

क्रमांक/3121 /वाचक/अ.वि.अ/2025 कुसमी, दिनांक **28/04/205**

प्ररूप– ग

[नियम 3(2) देखिए]

अनुमति

प्रति,

ओमप्रकाश पिता/पति **स्व. जगदीश**
ग्राम– नीलकंठपुर तहसील– कुसमी थाना– कुसमी
जिला– बलरामपुर– रामानुजगंज (छ0ग0)

विषय :– **प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति ।**

****

विषयान्तर्गत आपका आवेदन दिनांक **03/03/2025** को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन हेतु ज्ञापन दिनांक– **03/03/2025** को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक– **24/04/2025** को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार हैं :–

क्रमांक	प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति	संख्या	रोपित वृक्षों की प्रजाति	संख्या
1	**सेमल**	**01**	–	–
				योग – 01

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि खसरा नंबर **1501** रकबा **0.571** हे0 ग्राम **नीलकंठपुर** प.ह.न **5** तहसील **कुसमी** स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति **सेमल** एवं संख्या **01** हैं, **में से 01 वृक्ष** को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लघन नहीं हो रहा हैं। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति दी जाती हैं।

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र.9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्ड़र वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी
जिला– बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0)

पृ.क्रमांक/3122/वाचक/अ.वि.अ/2025 कुसमी, दिनांक **28/04/205**

प्रतिलिपि– 1. कलेक्टर महोदय, बलरामपुर– रामानुजगंज को सादर सूचनार्थ।
2. वनमंडलाधिकारी, बलरामपुर– रामानुजगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
3. तहसीलदार, तहसील **कुसमी** को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी
जिला– बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0